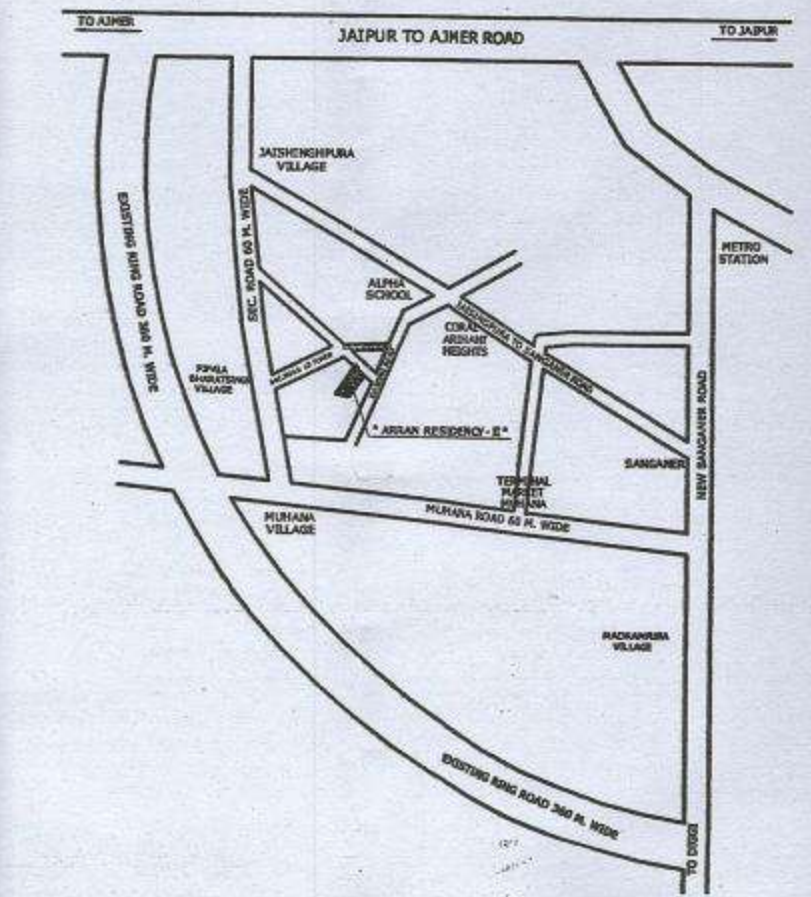
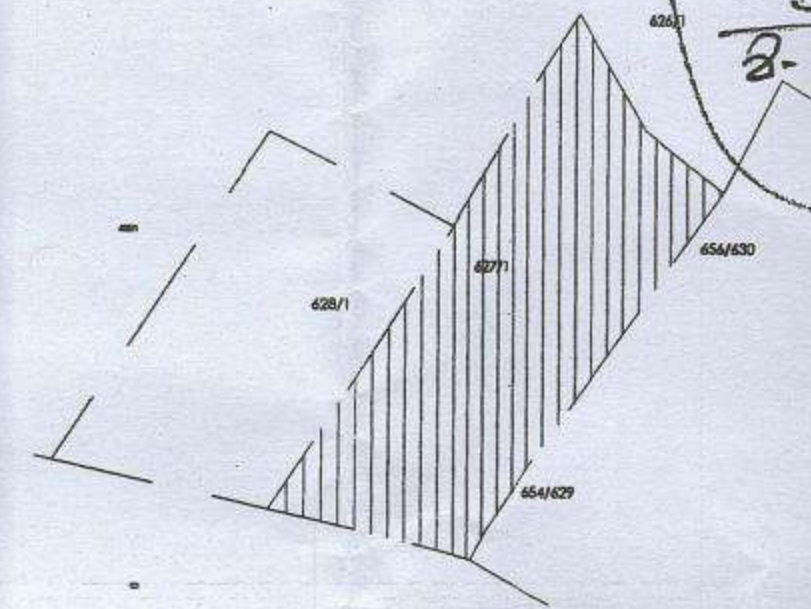




योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना 2022 के अनुसार दृष्ट उपयोग
प्रस्तावित वास्तवीय योजना के भूखण्डों की गणना :-
RESIDENTIAL PLOT = 88
RETAIL SHOP = 10

AREA & LAND USE ANALYSIS :-

S.NO.	LAND USE	AREA (in sq.mt.)	%
1.	RESIDENTIAL	9105.71	60.70%
2.	RETAIL SHOP	362.00	02.41%
(A)	TOTAL (1 TO 2)	9467.71	63.12%
3.	PARK	751.83	5.01%
4.	P.U. (TOILET)	10.00	00.07%
5.	SWM	50.02	00.33%
6.	MOBILE TOWER	10.02	00.07%
7.	ROAD	4710.42	31.40 %
(B)	TOTAL (3 TO 07)	5532.29	36.88%
	SCHEME AREA (A)	15000.00	100.00%

KHATEDAR LAND AREA 15000.00 SQ.MTR.
(1.50 Hect.)

SCHEME NAME :- **"ARRAN RESIDENCY - II"**
UNDER KHASRA NO. 627/1, VILLAGE - MANDAU, SECTOR - 53
NEAR BY KARNAL RAJ SINGH JI KA FARM, TEH.- SANGANER, JAIPUR

DEVELOPER NAME :-

LILAN DEVELOPER PVT.LTD.

ZONE = 11

SCALE = 1 : 500

CONSULTANT :-



JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED LAYOUT PLAN OF

"ARRAN RESIDENCY - II"

UNDER KHASRA NO. 627/1, VILLAGE - MANDAU, SECTOR - 53
NEAR BY KARNAL RAJ SINGH JI KA FARM, TEH.- SANGANER, JAIPUR



1. प्रस्तावित योजना की 90-ए का निर्णय दिनांक 27.02.2023को पारित किया गया है।
2. प्रस्तावित योजना की भूमि राभूरा अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणीकरण अमीन द्वारा किया गया है।
3. 18 वर्गमीटर सड़क से प्रभावित भूमि आवेदक से जविप्रा में सड़क हेतु नि:शुल्क समर्पित करवाई जा चुकी है।
4. योजना में दर्शित भूखण्ड संख्या 01 से 04 को 18 मीटर स्पष्ट पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के उपरांत ही उक्त भूखण्डों की लीजडीड जारी की जाएगी
5. योजना में फुटकर व्यावसायिक भूखण्ड की प्लानिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एव बी.पी.सी (एल.पी) द्वारा जारी यूओ नोट दिनांक 25.11.2021 को प्रावधान अनुसार सुनिश्चित की जावेगी।
6. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के एवज में नियमानुसार राशि ली गई है।
7. भूखण्ड पर टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गई है
8. आवेदक से प्रकरण से संबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क आदि लिये जा चुके हैं।
9. योजना में आंतरिक विकास के पेटे 125 प्रतिशत भूखण्ड (आवासीय भूखण्ड सं. 79 से 88 एवम् 59 का कुल क्षेत्रफल 777.14 वर्गमीटर एवम् रिटेल शॉप क्षेत्रफल 362 वर्गमीटर) रहन रखे गए हैं।

क.आमियन्ता
जोन-11,

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

तहसीलदार
जोन-11

उपायुक्त
जोन-11

वरिष्ठ नगर नियोजक,
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अति. मुख्य नगर नियोजक,
बी.पी.सी. (एल.पी.)

